भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3797

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आईजीएनओएपीएस के लिए पेंशन

3797. श्री सुनील बोस:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में लगभग 6 करोड़ वृद्धजन सबसे गरीब वर्ग में आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की जीवनयापन करने हेतु बढ़ती लागत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत 200 रुपये की वर्तमान गैर-अंशदायी पेंशन राशि को बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वयोवृद्ध जनसंख्या के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने वृद्धजनों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा पेंशन राशियों की पर्याप्तता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत रद्द की गई पेंशन के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे रद्द किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी समूह, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी जनगणना 2011 पर आधारित जनसंख्या अनुमानों के

अनुसार, वर्ष 2026 में देश की लगभग 11.5 प्रतिशत जनसंख्या के 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का एक घटक है, के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों से संबंधित 60-79 वर्ष आयु वर्ग के पात्र वृद्ध व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु प्राप्त करने पर, केंद्रीय सहायता की दर बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दी जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से केंद्रीय सहायता के पूरक के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान में, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली टॉप-अप सहायता 50 रुपये से 3,800 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी तक है। लगभग 5.7 करोड़ लाभार्थी एनएसएपी तथा इसी प्रकार की राज्य-विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

वर्तमान में, एनएसएपी के अंतर्गत सहायता की दर में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) एनएसएपी के अंतर्गत पात्र वृद्ध लाभार्थियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभाग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु एक विस्तृत योजना अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) मंत्रालय एवं नीति आयोग द्वारा समय-समय पर, एनएसएपी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने हेतु विभिन्न प्रभाव आकलन एवं मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। आकलनों से जमीनी स्तर पर संतोषजनक कार्यान्वयन का संकेत मिलता है, जिसमें अधिकांश लाभार्थियों ने पेंशन के चयन, स्वीकृति एवं संवितरण की प्रक्रियाओं के प्रति समग्र संतुष्टि व्यक्त की है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि पेंशन सहायता ने लाभार्थियों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद की है, जिससे इन आवश्यकताओं के लिए परिवार के सदस्यों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। साथ ही, उन्होंने सहायता राशि की पर्याप्तता में सुधार, समयबद्ध एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित करने, लाभार्थी सत्यापन एवं निगरानी प्रणालियों को बढ़ाने जैसे उपायों के माध्यम से कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने की सिफारिश की है।

(ड़) एनएसएपी के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान/चयन, आवेदनों का सत्यापन, स्वीकृति, लाभार्थी डेटा का रखरखाव/विलोपन तथा लाभार्थियों को पेंशन के अंतिम छोर तक संवितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। एनएसएपी के अंतर्गत लाभार्थी डेटाबेस की समीक्षा एवं संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर उनका अद्यतन किया जाता है। तदनुसार, मृत्यु, प्रवासन, डुप्लिकेशन, लाभार्थी का पता न चलने, अथवा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सत्यापन एवं समय-समय पर सत्यापन के दौरान पहचानी गई अन्य वजहों से पेंशन भुगतान बंद किए जा सकते हैं तथा लाभार्थी रिकॉर्ड को संशोधित या विलोपित किया जा सकता है।

अनुबंध

"आईजीएनओएपीएस के लिए पेंशन" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3797 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के घटक:

क्र.सं.	योजना के घटक
1	**एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)** - गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रम), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन एवं रखरखाव हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा एवं मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
2	**वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के अंतर्गत, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु राज्य कार्य योजना का कार्यान्वयन करती है। जागरूकता सृजन, संवेदीकरण, मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा एवं राज्य विशिष्ट गतिविधियों जैसी गतिविधियों हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
3	**एल्डरलाइन** - वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन का उद्देश्य विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित अधिनियम, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता प्रसार करना तथा देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु एक मंच प्रदान करना है।
4	**राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** - इसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित अथवा 15,000 रुपये या कम मासिक आय वाले तथा आयु संबंधी दिव्यांगता/अशक्तता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे भौतिक सहायक उपकरण एवं सहायक जीवन यापन उपकरण प्रदान करना है, जो उनके शारीरिक कार्यों में लगभग सामान्य स्थिति बहाल कर सकें। यह योजना 'कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के माध्यम से एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यान्वित की जाती है।
5	**सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज)** - सेज योजना का उद्देश्य आमतौर पर सामने आने

	वाली समस्याओं के लिए नवोन्मेषी एवं अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। बुजुर्गों के कल्याण हेतु उत्पाद, प्रक्रियाएं एवं सेवाएं विकसित करने हेतु नवोन्मेषी स्टार्ट-अप की पहचान की जाएगी एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टार्ट-अप का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है तथा निधि इक्विटी के रूप में प्रदान की जाएगी, बशर्ते सरकार का निवेश फर्म की कुल इक्विटी के 49% से अधिक न हो।
6	**पीएम-स्पेशल** - इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अधिक व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने तथा जराचिकित्सा के क्षेत्र में व्यावसायिक देखभालकर्ताओं का एक संवर्ग तैयार करने हेतु जराचिकित्सा देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति एवं बढ़ती मांग के बीच के अंतर को कम करना है।
7	**वरिष्ठ नागरिकों हेतु अन्य पहलें:** स्वस्थ एवं उत्पादक वृद्धावस्था की समस्याओं का समाधान करने हेतु देश भर में कई पहलें की जा रही हैं। प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य बुजुर्गों को ऐसे ज्ञान सृजन में शामिल करना है, जो समाज के लिए समग्र रूप से उपयोगी हो सके।